[राज्य सभा में पुरःस्थापित रूप में]

2014 का विधेयक संख्यांक 10

[दि फूड सेफ्टी एंड स्टैन्डर्ड (अमेंडमेंट) बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2014

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (संशोधन) विधेयक, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

धारा 5 का संशोधन ।

2006 का 34

2. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 की उपधारा (1) में,–

(i) "बाइस सदस्यों से, जिनमें एक तिहाई स्त्रियां होंगी" शब्दों के स्थान पर, "तेइस सदस्यों और खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ड़), खंड (च) और खंड (छ) में निर्दिष्ट सदस्यों में से एक तिहाई स्त्रियां होंगी" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"(कक) खाद्य प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी - सदस्य सचिव, पदेन ;"।

नई धारा 7क का अंतःस्थापन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 7 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :–

अध्यक्ष की शक्तियां ।

"7क. अध्यक्ष को खाद्य प्राधिकरण के कार्यों के संचालन में साधारण अधीक्षण और निदेश देने की शक्ति होगी और वह खाद्य प्राधिकरण की बैठकों की अध्यक्षता करने के अतिरिक्त खाद्य प्राधिकरण की ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का निवर्हन करेगा, जो खाद्य प्राधिकरण द्वारा उसे सौंपे जाएं ।"।

धारा 92 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 92 की उपधारा (1) पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परंतु केंद्रीय सरकार, लिखित आदेश द्वारा, लोकहित में, किसी मामले में पूर्व प्रकाशन की शर्त से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगी ।"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

देश में खाद्य से संबंधित विधियों का समेकन करने की दृष्टि से और विज्ञान पर आधारित खाद्य पदार्थों के लिए मानकों को अधिकथित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और उनके विनिर्माण, भंडारण, वितरण, विक्रय और आयात के लिए तथा मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम को वर्ष 2006 में अधिनियमित किया गया था ।

2. उक्त अधिनियम की धारा (5) की उपधारा (1) खाद्य प्राधिकरणकी संरचना अध्यक्ष और दो सदस्यों से मिलकर किए जाने का उपबंध करता है जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी सम्मिलित नहीं हैं । भारत के खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण की संरचना में मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है ।

3. आगे उक्त अधिनियम की धारा 5 यह उपबंध करती है कि उक्त प्राधिकरण की संरचना में एक तिहाई सदस्य स्त्रियां होंगी । उक्त प्राधिकरण के बाइस सदस्यों में से बारह सदस्य केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे । उन बारह सदस्यों में से एक तिहाई स्त्रियों की नियुक्ति सुनिश्चित करना कुछ कठिन है । जिससे खाद्य उद्योग, उपभोक्ता संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले विख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद् और वैज्ञानिकों, किसान संगठनों के दस अंशकालिक सदस्यों में से सात स्त्री सदस्यों की नियुक्ति करना आज्ञापक बन जाता है । अतः, एक तिहाई सदस्यों के स्त्री होने के संबंध में इस प्रकार का उपबंध करने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) का यह संशोधन प्रस्तावित है जो उक्त अधिनियम की उपधारा (1) के खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (च) और खंड (छ) में निर्दिष्ट सदस्यों को लागू होगा ।

4. उक्त अधिनियम की धारा 5 केंद्रीय सरकार को अध्यक्ष की नियुक्ति ऐसी रीति से करने को सशक्त करती है जिससे उच्चतम सक्षमता और सुसंगत विशेषज्ञता सुनिश्चित हो । अध्यक्ष से यह प्रत्याशा रहती है कि वह न केवल संगठन का उसके आरंभिक काल में मार्गदर्शन करे अपितु उक्त प्राधिकरण को विधिक आदेश के अनुसार चलने में समर्थ बनाने के लिए पद्धतियों, प्रक्रियाओं और ढांचे को अधिकथित करने में भी सहयता करेगा । अधिनियम उक्त प्राधिकरण के कार्य का मार्गदर्शन और निगरानी की इस आवश्यक भूमिका के लिए विनिर्दिष्ट उपबंध नहीं करता है, फिर भी अधिनियम की धारा 16 के अधीन उक्त प्राधिकरण के लिए सुरक्षित और स्वास्थ्यप्रद खाद्य सुनिश्चित करने के लिए खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, प्रसंस्करण, वितरण, विक्रय और आयात को विनियमित और मानीटर करना आज्ञापक है । अधिनियम की प्रस्तावना में अधिकथित के अनुसार यह आवश्यक है कि खाद्य प्राधिकरण में निदेश और उत्तरदायित्व के लिए एक सीधी कमांड का उपबंध हो । इसलिए, उक्त अधिनियम में नीतियों की निरंतरता, अध्यक्ष को खाद्य प्राधिकरण के कार्यों में मार्गदर्शन के लिए समर्थ बनाने की आवश्यकता पर ध्यान देने के लिए धारा 7क को अंतःस्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

5. धारा 92 उक्त प्राधिकरण को अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन और पूर्व प्रकाशन के पश्चात् विनियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उक्त धारा का ऐसी रीति में संशोधन प्रस्तावित है जिससे केंद्रीय सरकार को लोकहित में कतिपय मामलों में पूर्व प्रकाशन की शर्त से अभिमुक्ति देने के लिए सशक्त किया जा सके ।

6. यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
13 फरवरी, 2014

गुलाम नबी आजाद

उपाबंध

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का अधिनियम संख्यांक 34) से उद्धरण

* * * * * * *

खाद्य प्राधिकरण की संरचना और उसके अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हताएं ।

5. (1) खाद्य प्राधिकरण, अध्यक्ष और निम्नलिखित बाईस सदस्यों से, जिनमें से एक-तिहाई स्त्रियां होंगी, मिलकर बनेगा, अर्थात् :–

(क) सात ऐसे सदस्य जो निम्नलिखित से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों या विभागों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और वे भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से निम्न पंक्ति के नहीं होंगे :–

(i) कृषि,

(ii) वाणिज्य,

(iii) उपभोक्ता मामले,

(iv) खाद्य प्रसंस्करण,

(v) स्वास्थ्य,

(vi) विधायी मामले,

(vii) लघु उद्योग,

जो पदेन सदस्य होंगे ;

(ख) खाद्य उद्योग से दो प्रतिनिधि जिनमें से एक लघु उद्योग से होगा ;

(ग) उपभोक्ता संगठनों से दो प्रतिनिधि ;

(घ) तीन प्रख्यात खाद्य प्रौद्योगिकीविद् या वैज्ञानिक ;

(ङ) राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट जोनों में से एक-एक प्रत्येक तीन वर्ष में चक्रानुक्रम से नियुक्त किए जाने वाले पांच सदस्य ;

(च) कृषक संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले के लिए दो व्यक्ति ;

(छ) खुदरा विक्रेताओं के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक व्यक्ति ।

* * * * * * *

खाद्य प्राधिकरण की विनियम बनाने की शक्ति ।

92. (1) खाद्य प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत विनियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगा ।

* * * * * * *

GMGIPMRND—4447RS(CRC)—17.02.2014.